


10.3.21 - पत्रावली वाले बहस पर पेश
हुई। उमय पक्ष उपस्थित। क्विवक्ता केशरी
ने पर 01.2.20 पर सपटिन बाप 141
OPC पेश कर निवेदन दिया है कि प्रकरण
में कुछ पक्षवादी रावकी पूर्व निबन्धन हो
चुका है। इससे बावजूद भी मूल प्रारंभिक
रा पक्षवादी बनाया गया है। इससे साथ ही
विवादित भूमि के कुछ सह-प्रारंभिकों को
रेकोर्ड प्रारंभिक होते हुए भी पक्षवादी नहीं
बनाया है। विवादित जमीन की काली कंधूरी
नक्शा के साथ यह प्रार्थना-पत्र पेश किया
है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पक्षवादी के
असंयोजन व कुसंयोजन के दोष से ग्रस्त
होने से खारिज किया जावे।

क्विवक्ता प्रार्थी के हितों में
कचन दिया है कि इससे ह्रास पर्याप्त
हल्का से प्रमाणित प्रतिलिपि उत्तर कछे
प्रार्थना-पत्र पेश किया है। चूंकि कुछ
खारिजा बाहर रहे हैं, जिसकी जानकारी
प्रार्थी को नहीं है। अगर कुछ खारिजा
फौज है तो उसकी जानकारी न्यायालय को
देने का दायित्व केशरी का भी है। किंतु
केशरी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे।

उमय पक्ष वजुलाय की बहस पर
मनन दिया गया एवं पत्रावली का केवल
दिया गया। क्विवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना
25। नि के साथ विवादित जमीन की नक्शा
अभावनी परवारी हल्का से प्रमाणित सुझ
पेश की है। किंतु परवारी हल्का के उत्तर

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मेरान (नामौर)

प्रमाणित प्रतिलिपि काही : कंधूरी तर्फा
 की है तो इससे पार्टी को उसके कानून
 से वंचित नहीं किया जा सकता है जब
 तक उशन कावे. कंधूरी पक्षवाट खोले
 एवं मुक्त खोलेदार को पतावाट बनाने
 का है तो इस प्रकार से उक्त कार्य
 करने से किनावश्यक विलम्ब व पेचीदा
 होगी। नोट : पार्टी के कंधिवारे को
 मेरुवे इस कंधिवस्ता कंधीका उ
 पत्र 01 R13 CPC कांशिक स्वीकार का
 पार्टी का प्राम्पत्र 25। म इस प्रकार
 रवाजु किया जाता है कि पार्टी को
 चाहे तो पुनः सभी सफल प्रभावित
 खोलेदारों को पतावाट बनाने इस पुनः
 प्राम्पत्र प्रस्तावक सकता है निर्णय
 पुनः उक्त पत्रावली केसल मुक्त
 होकर नम्बर से कम की जावे।



सहायक कलक्टर
 एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
 डेगान (नागौर)